न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/96

बद्रीलाल पुत्र श्री उरज्या आयु 63 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. काली बाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बालदडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मोतीलाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रामलाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. भंवर लाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. छोटी बाई पुत्री श्री उरज्या पत्नी श्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढीकोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन में खाता संख्या 190 में खसरा नम्बर 515 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 4.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 1.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 6.54 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 का बराबर हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 को स्वर्गीय उरज्या से प्राप्त हुई इस कारण उक्त भूमि पैतृक है । वादीगण प्रतिवादी कम 01 की जायद संताने हैं जिन्हें प्रतिवादी संख्या 01 ने कभी स्नेह नहीं दिया वरन् बचपन में ही छोड दिया तथा वादीगण की माता को भी छोड रखा है । इस कारण प्रतिवदी कम 01 ने कभी अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन नहीं किया । वादीगण की शादी भी वादीगण की माता ने ही समस्त खर्चा करके की थी । वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से वादीगण का प्रतिवादी कम 01 के हिस्से 1/5 में 2/3 हिस्से के जन्म से अधिकार होने से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार हैं और यह भी अधिकार वादीगण को प्राप्त है कि अपने हिस्से को घोषित करवाकर विधिवत बंटवारा कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करावें और कब्जा एकाकी रूप से प्राप्त करें एवं कब्जे व हिस्से में आने वाली भूमि पर प्रतिवादी कम 01 कभी भी मजाहमत व मदाखल नहीं करें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को प्रतिवादीगण कम 1 के हिस्से 1/5 का 2/3 अर्थात् समस्त भूमि में 2/15 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे एवं विधिवत बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अमल कर कब्जा एकाकी रूप से स्थापित कराया जावे । प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि में वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण दखल नहीं करे न ही अन्य करावें उक्त भूमि को दौराने वाद रहन, बेचान एवं दान वसीयत या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.04.2022 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर उसके स्वयं के जीवनकाल में जिस प्रकार से बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर बंटवारा करवाना चाहा है, पूर्णतया विधि–विरूद्ध है । अपीलान्ट की आराजी पर अपीलान्ट स्वयं काबिज काश्त रहकर अपना

जीवन–यापन कर रहा है । अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है । प्रतिवादीगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का पुत्र होना साबित नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलान्ट के खाते की आराजी में बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया । परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर दावा वादीगण डिक्री कर दिया । अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर उसके स्वयं के जीवनकाल में जिस प्रकार से बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर बंटवारा करवाना चाहा है, पूर्णतया विधि–विरूद्ध है । अपीलान्ट की आराजी पर अपीलान्ट स्वयं काबिज काश्त रहकर अपना जीवन–यापन कर रहा है । अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है । प्रतिवादीगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का पुत्र होना साबित नहीं किया है। अपीलान्ट एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है जिसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है । अपीलान्ट की पत्नी हीराबाई से अपीलान्ट का काफी वर्षों पूर्व तलाक हो चुका है और जब से पत्नी छोडकर गई है तब से कभी उसने अपीलान्ट की कोई सार–संभाल नहीं ली । जब वह गई थी तो उसके साथ केवल मात्र एक लडकी थी उसके बाद क्या हुआ आज तक अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है । अपीलान्ट की पत्नी समय–समय पर दबाब डालकर अपीलान्ट से रकम वसूल करती रही है पूर्व में भी लगभग दो लाख रूपये अपीलान्ट पत्नी को अदा किये है। अब पुनः पुत्री की तरफ से बंटवारे का दावा प्रस्तुत कर दबाब बनाना चाहती है । अपीलान्ट की कृषि भूमि में वह जबरन कब्जा कर अन्यत्र बेचने पर आमादा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी कम 01 ने स्वयं अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री है । वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण रेस्पोडेन्ट का जन्म से अधिकार है जिसे वह अपने पिता की जीवनकाल में अपने हिस्से का स्वयं को सहखातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श– 1 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम गेण्डोलीकलां (नया) की खाता संख्या नया 190 में खसरा नम्बर 515 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 4.02

हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 1.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 6.54 हैक्टर भूमि मोतीलाल, बद्रीलाल, रामलाल, भंवरलाल पिसरान उरज्या छोटी बाई पुत्री उरज्या के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी उरज्या वल्द सुखा के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकण संख्या 183 दिनांक 29.05.2002 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोतीलाल, बद्रीलाल, रामलाल, भंवर लाल पि0 उरज्या के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश बून्दी द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट उल्लेखित है कि, "प्रार्थी के साथ अप्रार्थिया जोजियत का हक अदा करती रही, उसके नुत्फे से अप्रार्थिया ने पुत्री काली बाई व पुत्र नन्दकिशोर उत्पन्न हुआ ।" शपथ पत्र मांगीलाल डीडब्ल्यू– 2 प्रदर्श– 5 संलग्न है ।

11. वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू– 1 नन्दकिशोर, पीडब्ल्यू– 2 घांसी लाल, पीडब्ल्यू–3 रामगोपाल कराये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से बयान बद्रीलाल डीडब्ल्यू–1, मांगीलाल डीडब्ल्यू–2, पृथ्वीराज डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

13. वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा होना कथन करते हुए वाद डिकी करने का कथन किया । वादग्रस्त आराजी बद्रीलाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपीलान्ट की जायन्दा संतानें हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट को उनके पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने का अधिकार नहीं है । विवाद्यक संख्या 02 में परीक्षण न्यायालय ने भूमि को पैतृक माना है । अपीलान्ट ने विवाद्यक संख्या 03 को गलत रूप से निर्णित होने का कथन किया है, परन्तु कोई ऐसा तथ्य या दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है जिससे अपीलान्ट के कथन को समर्थन मिलता हो । परीक्षण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 03 का विवेचन कर निर्णय पारित किया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में कोई विधिक प्रावधान/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादी रेस्पोडेन्ट को उनके पिता के जीवनकाल में विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त नहीं हो । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निष्कर्ष पारित कर वाद वादीगण डिकी किया है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत जिससे हम सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/96

बद्रीलाल पुत्र श्री उरज्या आयु 63 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. काली बाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बालदडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मोतीलाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रामलाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. भंवर लाल पुत्र श्री उरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. छोटी बाई पुत्री श्री उरज्या पत्नी श्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढीकोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.04.2022 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 137/दावा/2014

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2. काली बाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेण्डोली कलां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बालदडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----वादी

बनाम

1. बद्रीलाल
2. मोतीलाल
3. रामलाल
4. भंवर लाल पि0 उरज्या जाति गुर्जर निवासी गैण्डोली कलां नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. छोटी बाई पुत्री उरज्या पत्नी भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ढीकोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.11.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2022 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा